[1][**प्ररूप संख्या 34ङक**

[देखिए नियम 44ङ]

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245थ (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय अभिप्राप्त करने का प्ररूप

(कृपया इस प्ररूप को भरने से पहले टिप्पणियों को सावधानीपूर्वक पढ़ें)

अग्रिम विनिर्णय के लिए बोर्ड के समक्ष

1.	व्यष्टि के संबंध में,	श्रीमान	श्रीमती
	अंतिम नाम/उपनाम प्रथम		
	नाम		
	मध्य नाम		
2.	जन्म की तारीख		
3.	पिता का नाम		
4.	पूरा नाम (यदि आवेदक व्यष्टि नहीं है)		
5.	निगमन की तारीख (यदि आवेदक व्यष्टि नहीं है)		
6.	निगमन के प्रकार		
7.	पता		
8.	प्रास्थिति		
9.	भारत का निवासी या अनिवासी	हां/नहीं	
10.	देश, जहां वह निवास करता है (अनिवासी की दशा में)		
11.	अनिवासी होने के लिए दावे का आधार		
12.	आवेदक के ऊपर अधिकारिता रखने वाले आयुक्त और निर्धारण अधिकारी (केवल विद्यमान अनिवासी निर्धारिती की दशा में)		
13.	निवासी की दशा में स्थायी खाता संख्यांक और आधार संख्यांक (यदि लागू हो)		
14.	आवेदक द्वारा किए गए ठहराव का ब्यौरा, जिस पर बोर्ड का अवधारण या निर्णय आवश्यक है		

1. आय–कर (नौवाँ संशोधन) नियम, 2023 द्वारा **12.6.2023** से प्रतिस्थापित।

(i) ठहराव का संक्षिप्त विवरण	
(ii) ठहराव का प्रयोजन	
(iii) निम्नलिखित प्ररूपों में ठहराव के लिए अन्य पक्षकारों का ब्यौरा :	

क्र.सं.	ठहराव के लिए अन्य पक्षकार (पक्षकारों) के नाम	क्या भारत के निवासी हैं	स्थायी खाता संख्यांक और आधार संख्यांक (यदि कोई हो)	ठहराव में ऐसे पक्षकार की भूमिका	ठहराव के अन्य पक्षकार (पक्षकारों) के साथ संबंध	अन्य पक्षकार (पक्षकारों) से उत्पन्न होने वाले कर लाभ

15.	कर लाभ, जो ठहराव से उत्पन्न होने की संभावना है, यदि किया जाता है	
16.	निर्धारण वर्ष या वर्ष, जिसके दौरान मद सं. 15 में यथा उपदर्शित कर लाभ उत्पन्न होने की संभावना है (वर्ष-वार अलग-अलग लिखें)	
17.	प्रस्तावित ठहराव से संबंधित प्रश्न (प्रश्नों), जिस पर मद सं. 14 में निर्दिष्ट अग्रिम विनिर्णय आवश्यक हैं	
18.	मद सं. 14 से संबद्ध सुसंगत तथ्यों का विवरण	
19.	उपर्युक्त ठहराव के संबंध में, आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन वाला विवरण	
20.	संलग्न दस्तावेजों विवरणों की सूची	
21.	आवेदन के साथ संलग्न फीस संदाय के ब्यौरे, जैसे कि संव्यवहार संदर्भ सं0/चालान पहचान संख्या/संदाय पहचान संख्या आदि	
22.	भारत में प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और पता	

.....

.....

हस्ताक्षर

(आवेदक)

सत्यापन

मै.....(नाम स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र/पुत्री/पत्नी.....सत्यनिष्ठा यह घोषणा करता/करती हैं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार ऐसे उपाबंध(धों) के साथ दस्तावेज भी है में किया गया कथन सही औरपूर्ण है।

मैं यह और घोषणा करता/ करती हूँ कि मैं..... (पदनाम) की क्षमता में यह आवेदन कर रहा /रही हूँ और मैं यह आवेदन करने के लिए सक्षम हूँ और इसे सत्यापित करता/करती हूँ । मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि वह प्रश्न जिस पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है किसी आय-कर प्राधिकारी, अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष मेरे मामले में लंबित नहीं है

आज ..... दिन .....को सत्यापित ।

.....

.....

स्थान..... *(आवेदक)*

टिप्पण:

1. आवेदन अंग्रेजी या हिंदी में भरा जाएगा

2. मद संख्या 9 के उत्तर में, आवेदक के मामले में, जो विद्यमान निर्धारिती नहीं है, निम्नलिखित पते दिए जाने हैं:-

- भारत में वह स्थान जहां कार्यालय और निवास अवस्थित है या अवस्थित होने की संभावना है ।
- निगमन के उसके देश का पता ।

3. आय-कर नियम, 1962 के नियम 44ङ के उपनियम(4) के अनुसार नई दिल्ली पर संदेय अग्रिम विनिर्णय बोर्ड के पक्ष में किया गया लागू फीस के संदाय के सबूत के साथ आवेदन किया जाएगा। संदाय के ब्यौरे मद सं. 21 के उत्तर में दिए जाएंगे।

4. मद सं. 8 के उत्तर में, आवेदक को यह अवश्य कथन करना चाहिए कि व व्यष्टिक, हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, व्यक्तियों का संगम या कंपनी है ।

5. मद सं. 11 के लिए, आय-कर अधिनियम की धारा 6 में यथा अंतर्विष्ट भारत में 'निवास' के संबंध में उपबंधों के संदर्भ में उत्तर दिया जाएगा/इस संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:-

कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में, 'निवासी' कहा जाता है, यदि वह उस वर्ष के दौरान भारत में निम्नलिखित अवधि के लिए रहा है ;

-एक सौ अस्सी दिवस की अवधि या अवधियों के लिए; या

-साठ दिवस या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के दौरान तीन सौ पैंसठ दिवसों या अधिक की अवधि या अवधियों के लिए भी भारत में रहा है ।

तथापि, भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारत से बाहर रहा है तथा भारत में आगंतुक है या भारत का नागरिक है जो भारत के बाहर नियोजन के प्रयोजनों के लिए या भारतीय पोत के कर्मीदल के सदस्य के रूप में भारत छोडता है, के मामले में साठ दिवस की अवधि को एक सौ बयासी दिवसों तक बढा दिया जाता है। और, भारत के नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारत से बाहर रहा है तथा भारत मे आगंतुक है, के मामले में साठ दिवस की पूर्वोक्तवर्णित अवधि बढाकर एक सौ बीस दिवस कर दी जाती है यदि ऐसे व्यक्ति की कुल आय, विदेशी स्त्रोतों से आय से भिन्न, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान पंद्रह लाख रुपये से अधिक होती है।

इसके अतिरिक्त, उपवर्णित शर्तों को ध्यान में न रखते हुए, कोई व्यक्ति, जो भारत का नागरिक है तथा विदेशी स्त्रोतों से भिन्न, उसकी कुल आय पंद्रह लाख रुपये से अधिक है, निवासी समझा जाएगा यदि वह अपने अधिवास या निवास या अन्य मापदंड के कारण किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है। जहां उसके कार्यों का नियंत्रण और प्रबंधन पूर्णत: भारत के बाहर अवस्थित है उसके सिवाय, प्रत्येक मामले में व्यक्तियों का संगम या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब या फर्म भारत में निवासी है।

कोई कंपनी भारत में निवासी है, यदि वह भारतीय कंपनी है या इसके प्रभावी नियंत्रण का स्थान भारत में है।

यथा पूर्वोक्त कोई व्यक्ति जो भारत में निवासी नहीं है, भारत में अनिवासी है।

6. मद सं. 17 के संबंध में, प्रश्न वास्तविक या प्रस्तावित ठहरावों पर आधारित होना/होने चाहिए। परिकल्पित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

7. मद सं. 18 के संबंध में, आवेदक विस्तृत रुप से सुसंगत तथ्यों का कथन करेगा तथा अपने कारबार या वृति की प्रवृति और संभावित तारीख तथा प्रस्तावित (ठहराव) के प्रयोजन का प्रकटन भी करेगा। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में दर्शित सुसंगत तथ्यों को तथ्यों के विवरण में सम्मिलित किया जाएगा ना कि मात्र निर्देश द्वारा निगमित किया जाएगा।

8. मद संख्या 19 के लिए उपाबंध 2 में, आवेदक अपने विधि के निर्वचन या ऐसे प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय चाहा गया है, की बाबत तथ्यों को स्पष्ट रुप से वर्णित करेगा।

9. आवेदन, उससे संलग्न सत्यापन, आवेदन और विवरणों के उपाबंधों और उपाबंधों से संलग्न दस्तावेज इस प्रकार से है,-

(क) व्यष्टि के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) व्यष्टि स्वयं द्वारा ; या

(ii) जहां, किसी अपिरहार्य कारण से, किसी व्यष्टि के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है, इस संबंध में उसके द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ;

परंतु उपखंड (ii) में निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए व्यष्टि से विधिमान्य मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(ख) हिंदू अविभक्त कुटुंब के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रूप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके कर्ता द्वारा ; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, कर्ता के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है ऐसे कुटुम्ब के किसी अन्य वयस्क सदस्य द्वारा ; और

(II) हस्ताक्षरित या अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(ग) कंपनी के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध निदेशक द्वारा, या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबंध निदेशक आवेदन में हस्ताक्षर और सत्यापन करने के योग्य नहीं हैं, या जहां कोई प्रबंध निदेशक नहीं हैं ; उसके किसी निदेशक द्वारा ; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, प्रबंध निदेशक या निदेशक के लिए आवेदन में हस्ताक्षर करना संभव नहीं है इस संबंध में कंपनी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा:

परंतु उपखंड (ii) के निर्दिष्ट मामले में, आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति ऐसा करने के लिए कंपनी से विधिपूर्ण मुख्तारनामा रखता है, जिसे आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा ; या

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा;

(घ) फर्म के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रुप से हस्ताक्षरित,-

(i) उसके प्रबंध भागीदार द्वारा; या

(ii) जहां किसी अपरिहार्य कारण से, ऐसा प्रबंध भागीदार आवेदन पर हस्ताक्षर या सत्यापन करने के योग्य नहीं है, या जहां ऐसा कोई प्रबंध भागीदार नहीं है, उसके किसी भागीदार द्वारा, जो अवयस्क न हो ; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(ड.) व्यक्तियों के संगम के मामले में,-

(I) हस्ताक्षरित या अंकीय रुप से हस्ताक्षरित ; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

(च) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में,-

(I) उस व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से काम करने के लिए सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या अंकीय रुप से हस्ताक्षरित; और

(II) अपने रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता के माध्यम से प्रस्तुत करेगा ;

उपाबंध 1

उन सुसंगत तथ्यों का कथन जिनका उस प्रश्न (प्रश्नों) से संबंध है, जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है

.....

.....

.....

(आवेदक)

स्थान.....
तारीख.....

उपाबंध 2

प्रश्न (प्रश्नों) जिन पर अग्रिम विनिर्णय अपेक्षित है, की बाबत आवेदक के यथास्थिति, विधि या तथ्यों के निर्वचन को अंतर्विष्ट करते हुए कथन

.....

.....

स्थान.....
तारीख.....

.....

(आवेदक)"1]